

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 142/2020 – निगरानी

- | | | |
|--|------|---|
| 1. विकास अधिकारी पंचायत समिति सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा | बनाम | 1. ईदरीश खान पठान पुत्र ईशाक खान पठान, निवासी भदालीखेडा, ग्राम पंचायत आरजिया, |
| | | 2. विनोद कुमार चौरडिया पुत्र भंवर लाल चौरडिया निवासी बी- 159, आर.के. कॉलोनी, भीलवाडा |
| | | 3. ग्राम पंचायत आरजिया, पंचायत समिति सुवाणा जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत आरजिया, तहसील व जिला भीलवाडा-राजस्थान |

-निगराकार

- गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम बाबत पट्टा संख्या 06, दिनांक 20.12.2017, पट्टे पर अंकित मिसल संख्या 172/16-17, संकल्प संख्या 02, दिनांक 20.10.2017, पट्टा जारी दिनांक 20.12.2017 को निरस्त करने के संबंध में

उपस्थित -

1. श्री कैलाश चन्द्र काष्ट अधिवक्ता - निगराकार की ओर से
2. श्री मनोहर लालवानी अधिवक्ता - विपक्षी संख्या 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 23.05.2023

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार संख्या 01 ने एक पट्टा विलेख दिनांक 05.10.2018 को पट्टा संख्या 06 पट्टा जारी दिनांक 20.12.2017 का राजस्थान पंचायती राज नियम 157 (1) के तहत ग्राम पंचायत आरजिया द्वारा जारीशुदा पट्टे को उपपंजीयक भीलवाडा के यहाँ पंजीकृत करवाया है। उक्त पट्टा आवासीय भूमि का पूर्णरूपेण विधिविरुद्ध गैर कानूनी एवं छल से तैयार किया हुआ होकर पंजीकृत करवाया है, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। गैर निगराकार संख्या 03 ग्राम पंचायत आरजिया द्वारा जारीशुदा पट्टा गैर-कानूनी तरीके से ग्राम पंचायत की करोडो रुपये की आबादी भूमि को नष्ट करने एवं अवैध रूप से कब्जा करने पर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाडा एवं जिलाधीश महोदय, भीलवाडा द्वारा विशेष रूप से जाँच के आदेश दिये गये, जिस पर जाँच की गई, जाँच में स्पष्ट रूप से पाया गया कि गैर निगराकार संख्या 01 ने ग्राम पंचायत आरजिया में पट्टा बनाने के संबंध में किसी प्रकार का कोई भी आवेदन नहीं दिया है, न कोई आवेदन शुल्क



पुश्तैनी पट्टा जारी होने के संबंध में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में स्पष्ट प्रावधान है कि पट्टा उसी आवासीय भूखण्ड के संबंध में जारी किया जा सकता है, जिसमें अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व के 50 वर्षों में पट्टा प्राप्त करने का वाले व्यक्ति का आवास हो, लेकिन उक्त पट्टे की भूमि ग्राम पंचायत आरजिया की आबादी भूमि होकर, खसरा नम्बर 115/7 में स्थित हैं, जहाँ पर कभी किसी भी व्यक्ति का कोई आवास नहीं रहा है। जॉच अधिकारी ने ग्राम पंचायत आरजिया के ग्राम विकास अधिकारी गौरव जीनगर एवं तत्कालीन सरपंच बाबूलाल आत्मज बंशीलाल धोबी, ग्राम पंचायत आरजिया से भी इस संबंध में रेकार्ड मांगा तो उन्होंने पट्टा जारी करने से मना किया तथा ऐसा कोई रेकार्ड ग्राम पंचायत आरजिया के कार्यालय में होना नहीं पाया। इसलिए उक्त पट्टा आवासीय भूमि का पूर्णरूपेण विधिविरुद्ध गैर कानूनी एवं छल से तैयार किया हुआ होकर पंजीकृत करवाया है, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः निवेदन है कि पट्टा संख्या 06 जारी दिनांक 20.12.2017 ग्राम पंचायत आरजिया निरस्त फरमा जाये। निगराकार अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त 2020(1)डीएनजे (राज.) पेज 199, 2017(3)डब्ल्यू एल एन (राज.) पेज 379 पेश किये।

विपक्षी संख्या 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस एवं लिखित बहस में निवेदन किया कि गैर निगराकार संख्या 01 ने ग्राम पंचायत आरजिया में विधिवत नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर पट्टा प्राप्त किया है। गैर निगराकार संख्या 02 ने विधिवत नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर गैर निगराकार संख्या 01 से सम्पत्ति क्रय की हैं। मौके पर आराजी/खसरा संख्या की जांच/नपती/आधार बिन्दु/सीमायें किसी सक्षम /प्राधिकृत अधिकारी/पटवारी से जवाबदाता की उपस्थिति में नहीं करवायी गयी, इस कारण आईडेन्टीफिकेशन ऑफ लैण्ड के अभाव में निगरानी खारिज योग्य हैं। प्रकरण से संबंधित सरपंच एवं सचिव को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया जिससे निगरानी खारिज योग्य हैं। निगराकार ने तथाकथित पट्टा ही ग्राम पंचायत से जारी नहीं होना बताया है तो उसको निरस्त करवाने की लोकस स्टेण्डी ही निगराकार को नहीं हैं। संबंधित प्रकरण में हस्तांतरण विलेखों के गवाह/उपपंजीयक अधिकारी, संबंधित लिपिक, उप पंजीयक कार्यालय की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अनुसंधान व जांच का अहम हिस्सा है। विकास अधिकारी ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 107 सी, डी, ई, एफ, जी तथा धारा 107 एच-II के प्रावधान व मंशा को नजरअंदाज किया है। प्रस्तुत निगरानी विधि विरुद्ध होकर बेरूनमियाद व कम न्याय शुल्क पर पेश की गयी है। निवेदन हैं कि निगराकार की



प्रकरण में बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि दौराने बहस एवं लिखित बहस में गैर निगराकार संख्या 02 के अधिवक्ता ने ऐतराज व्यक्त किया कि उक्त निगरानी प्रकरण को विकास अधिकारी पंचायत समिति सुवाणा द्वारा पेश किये जाने का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं हैं।

इस हेतु पत्रावली परीक्षण से जाहिर होता हैं कि प्रकरण में ग्राम पंचायत आरजिया द्वारा जारी पट्टों के संबंध में जिलाधीश महोदय एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा के आदेश पर प्रश्नगत पट्टे की जांच की गयी, बाद जांच रिपोर्ट आधार पर ही निगराकार द्वारा निगरानी पेश की गयी। इस प्रकार निगराकार की उक्त प्रकरण को पेश करने की लोकस स्टैण्डाई बनती हैं।

पत्रावली परीक्षण से जाहिर आया कि जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के आदेश की अनुपालना में पंचायत समिति सुवाणा द्वारा प्रश्नगत पट्टे की जांच की गयी। पंचायत समिति की जांच रिपोर्ट दिनांक 25.09.2019 अनुसार ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम भदाली खेडा की आबादी भूमि खसरा नं. 115/07 पर तत्कालीन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कुछ व्यक्तियों को पट्टे जारी किये जाने की शिकायत ग्रामवासियों द्वारा की जाने पर, शिकायत की जांच की गयी जिसमें पाया गया कि पूर्व सरपंच एवं सचिव द्वारा वर्ष 1996-97 में उक्त भूमि के दो पट्टे जारी किये गये जिनका तत्कालीन सरपंच श्रीमती राजी देवी एवं सचिव द्वारा नवीनीकरण कर पंजीयन करवाया गया। जिसके विरुद्ध तत्कालीन जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा द्वारा दर्ज निगरानी प्रकरण में सुनवाई की जाकर उक्त दोनों पट्टों व आदेश को निरस्त किया जाकर भूमि अधिनस्थ ग्राम पंचायत के कब्जे में लिये जाने के आदेश दिये गये। इस आदेश की ग्राम पंचायत आरजिया द्वारा पालना न करते हुये तत्कालीन सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उक्त भूमि के 12-15 भूखण्ड बनाकर कुछ व्यक्तियों को पट्टा बुक संख्या 193 व 194 में से पट्टे जारी कर दिये गये। जबकि उक्त पट्टा बुक संख्या 193 व 194 पंचायत समिति सुवाणा द्वारा ग्राम पंचायत सुवाणा को जारी की गयी जो ग्राम पंचायत सुवाणा के रिकार्ड में खाली सुरक्षित रखी हुयी हैं। पंजीयन कार्यालय से प्राप्त पट्टे एवं पट्टे की रजिस्ट्री की जांच में पाया गया कि पट्टों पर अंकित पत्रावली संख्या, वर्ष एवं दिनांक गलत लिखी हुयी हैं। भूमि विक्रय रजिस्टर की जांच में पाया गया कि या तो उक्त




पंचायत आरजिया के रिकार्ड में रसीद बुक, सामान्य रोकड़ बही, भूमि विक्रय रजिस्टर में उक्त पटटे जारी करने से पूर्व नियमानुसार राशि जमा नहीं की गयी। ग्राम भदाली खेडा की उक्त आबादी भूमि खसरा नं. 115/07 पर जारी किये गये पटटों के भूखण्डों की जमीन खाली होकर चार दीवारी का निर्माण कर रखा है। जिसके पटटे नियम 157 (1) के तहत जारी नहीं किये जा सकते हैं।

उक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट जाहिर होता है कि उक्त जारीशुदा पटटे जिस पटटा बुक से जारी किये गये, वह पटटा बुक ग्राम पंचायत सुवाणा के नाम से जारी की गयी थी, न कि ग्राम पंचायत आरजिया के नाम पर। इसी प्रकार उक्त पटटे की पत्रावलियां ग्राम पंचायत के दर्ज रजिस्टर में संधारित नहीं होकर पटटे से संबंधित कोई अभिलेख भी पंचायत पर उपलब्ध नहीं पाया गया। उक्त पटटे से संबंधित कोई राशि भी ग्राम पंचायत में जमा नहीं करायी गयी। उक्त पटटे की आबादी भूमि खाली होकर चार दीवारी का निर्माण हो रखा है जो पंचायत राज अधिनियम के नियम 157 (1) की स्पष्ट उल्लंघना की जाना स्पष्ट होता है। अतः ग्राम पंचायत आरजिया द्वारा जो प्रश्नगत पटटा जारी किया गया है, वह राजस्थान पंचायती राज अधिनियमों के विरुद्ध जारी किया जाना स्पष्ट होता है। ग्राम पंचायत को खाली भूखण्डों पर नियम 157(1) के तहत पटटा जारी करने का क्षेत्राधिकार भी नहीं है। तत्कालीन सरपंच एवं सचिव के बयान अनुसार भी उक्त प्रश्नगत पटटा उनके द्वारा जारी नहीं किया जाना अपने बयान में अंकित किया गया है। अतः प्रश्नगत पटटा प्रारब्ध से ही शून्य होकर खारिज होने योग्य ठहरता है। जिससे निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव—

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत आरजिया पंचायत समिति सुवाणा के पटटा संख्या 06 दिनांक 20.12.2017, मिसल संख्या 172/16-17, संकल्प संख्या 02, दिनांकित 20.10.2017 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत आरजिया पंचायत समिति सुवाणा को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. राजेश गोयल)